69 (29)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– 402 दिनांक : ~~-12.2013~~ 03/01/2014

परिपत्र

जयपुर शहर में स्थित प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के आवासों में मरम्मत एवं संधारण कार्यों पर विगत तीन वर्षों में किये गये व्यय तथा प्रावधित धनराशि की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए, अधिशाषी अभियंता, नगर खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर को इस वित्तीय वर्ष 2013–14 में उनके क्षेत्राधिकार मे स्थित राजकीय आवासों पर व्यय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्र कमांक मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी–277 दिनांक 24.05.2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। तथा तय सीमा तक ही व्यय किये जाने हेतु अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी आवास पर तय सीमा से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक हो तो उसके लिये राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही व्यय किया जावे।

क्र. सं.	पिछले तीन वर्षो में हुआ व्यय (प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के आवास)	पूर्व में जारी परिपत्र द्वारा व्यय किये जाने हेतु निर्धारित सीमा	अब जारी संशोधित परिपत्र द्वारा व्यय किये जाने हेतु निर्धारित सीमा
1.	जिन आवासों पर पिछले तीन वर्ष में 3.00 लाख रू. से अधिक व्यय किया गया है उन पर।	रूपये 0.50 लाख तक	रूपये 1.00 लाख तक
2	जिन आवासों पर पिछले तीन वर्ष में 2.25 से 3.00 लाख रू. से अधिक व्यय किया गया है उन पर।	रूपये 0.75 लाख तक	रूपये 1.25 लाख तक
3	जिन आवासों पर पिछले तीन वर्ष में 2.00 लाख रू. से कम व्यय किया गया है उन पर।	रूपये 1.00 लाख तक	रूपये 1.50 लाख तक

यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

(ए. के. सांघी)
मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– 402 दिनांक : 03/01/2014 ~~-12.2013~~

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
3- अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. संभाग प्रथम–जयपुर।
4- अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त शहर, जयपुर।
5- अधिशाषी अभियंता, नगर खण्ड–प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर।
6- रक्षित पत्रावली।

(ए. के. सांघी)
मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

E:\RM & NK 2012-13 (04.06.12)\Hindi. 2012-13 (04.06.12).doc802